न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 5/2021 दायरा दिनांक : 22.01.2021

उनवान

नरेन्द्र कुमार पुत्र छीतरलाल/छीतरमल, उम्र 48 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– श्री नाथूलाल पुत्र श्री रामनारायण, जाति तेली, निवासी ग्राम पिपलाज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2– शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा, शाखा खानपुर

3– राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार खानपुर, तहसील खानपुर

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बच्चूलाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री मनीष श्रृंगी अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 21.11.2022**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 670/2020 निर्णय व डिक्री दिनांक 19.03.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पिपलाज

टंकणकर्ता
शोध
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पटवार हल्का पिपलाज के माल की जमाबंदी सम्वत 2072–2075 की खतौनी संख्या नई 218 पुरानी 223 के खसरा नम्बर 1453 रकबा 4 बीघा आराजी स्थित है। उक्त वर्णित आराजी के लगवा प्रतिवादी नरेन्द्र कुमार अपने कब्जे काश्त की आराजी स्थित है। नरेन्द्र कुमार अपने कब्जे काश्त की आराजी से लगवा वादी के खेत पर जबरनदस्ती पत्थर की कोट कर कब्जा करना चाहता है, इसके लिए प्रतिवादी नरेन्द्र कुमार हमेशा वादी नाथूलाल के साथ लडाई–झगड़ा करने पर उतारू रहता है। नरेन्द्र कुमार ने नाथूलाल के खेत पर पत्थर कोट कर कब्जा करने की नियत से दोनों पक्षों के खेतों के बीच 4 फिट चौड़ी मेड को फाड तोड कर वादी के खेत पर जबरन पत्थर कोट कर कब्जा करना चाहता है। जबकि प्रतिवादी नरेन्द्र कुमार को वादी के खेत पर पत्थर की कोट कर कब्जा करने एवं दोनों पक्षों के खेतों के बीच 4 फीट मेड को फाडने व तोडने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादी के खेत व प्रतिवादी नरेन्द्र के खेत के बीच 4 फीट चौडी मेड पर होकर अन्य लगवा आराजी खातेदारान भी अपने पूर्वजों के जमाने से निकलते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी नरेन्द्र कुमार ने दिनांक 10.06.2016 को वादी को धमकी दी की दोनों पक्षों के खेतों के बीच 4 फीट चौड़ी मेड फाडने तोडने व वादी के खेत पर जबरन पत्थर कोट कर कब्जा करने तथा वादी को बेदखल करने से वाद कारण उत्पन्न हुआ। अधीनस्थ न्यायलय ने वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया तथा ग्राम पिपलाज तहसील खानपुर की आराजी खसरा नम्बर 1453 रकबा 4 बीघा के सम्बन्ध में तहसीलदार खानपुर टीम गठित करके वादी के खेत की मेड का सीमांकन करें, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री व निर्णय कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने बगैर साक्ष्य लिये वादी के वाद

टंकणकर्ता
लेखा
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

को डिक्री कर दिया है जो कानूनन गलत है। नाथूलाल ने वाद में सही तथ्यों को छिपाया है। नाथूलाल की आराजी के उत्तर में अपीलांट की कोई आराजी नहीं है, न अपीलांट ने डोली का निर्माण किया है, जिस आराजी पर डोली के निर्माण के कथन किये हैं वह आराजी खसरा नम्बर 1460/1732 है जो श्रीमती शीला शर्मा के खाते, कब्जे व काश्त की है। जिसको वाद में जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है। श्रीमती शीला शर्मा ने अपने खाते की आराजी पर डोली का निर्माण किया है। अतः शीला शर्मा को पक्षकार बनाये बगैर वाद खारिज होने योग्य है। वाद के कथनों में डोली कब बनी है यह भी साबित नहीं है। डोली काफी पुरानी है। अपीलांट ने रेस्पोडेंट के खेत पर नाजायज कब्जा कर कोई डोली का निर्माण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वो डिक्री पारित की है जिसका अनुतोष रेस्पोडेंट ने मांगा ही नहीं है। अतः डिक्री कानून के विरूद्ध है जो निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेंट वादी वाद की आड में श्रीमती शीला शर्मा के खेत पर बनी डोली को हटाना चाहता है जिसका उसको अधिकार नहीं है। वाद का निर्णय करने में सिविल प्रक्रिया के प्रावधानों का उल्लंघन करके डिक्री पारित की है जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.03.2020 निरस्त की जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय 19.03.2020 है इस तारीख के 4 दिन बाद से ही खानपुर व पूरी जिले में लोकडाउन लग गया था जो जुलाई तक चला तथा न्यायालय में पक्षकारों व एडवोकेट के प्रवेश पर रोक लगी तथा न्यायालय का कार्य भी नहीं हुआ । प्रार्थी की ओर से निर्णय व डिक्री की नकल का प्रार्थना पत्र दिनांक 31.07.2020 को पेश किया जो दिनांक 07.08.2020

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

को प्राप्त हुई। अतः नकल प्राप्त होने की तारीख से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट ग्राम पिपलाज पटवार हल्का पिपलाज के माल की जमाबंदी सम्वत 2072–75 की खतौनी संख्या नई 218 के खसरा नम्बर 1453 रकबा 4.00 बीघा आराजी के सम्बन्ध में तहसीलदार खानपुर टीम गठित कर वादी रेस्पोडेंट के खेत की मेड का सीमाकंन करे और यदि मौके पर अवैध पत्थर/कब्जा हो तो पुलिस इमदाद ली जाकर हटाकर पालना से अवगत कराये जाने की आज्ञा पारित की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है । जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.03.2020 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/11/2022
(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

लेखाकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

नरेन्द्र कुमार पुत्र छीतरलाल / छीतरमल, उम्र 48 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

..........**अपीलान्ट्स**

बनाम

1– श्री नाथूलाल पुत्र श्री रामनारायण, जाति तेली, निवासी ग्राम पिपलाज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
2– शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा, शाखा खानपुर
3– राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार खानपुर, तहसील खानपुर

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. **5 / 2021** एवं
मु.द.नं0 **670 / 2020**

नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, खानपुर**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **19.03.2020**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **18** माह **11** सन् **2022**

हाजरी **श्री बच्चूलाल** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से एवं **श्री मनीष श्रृंगी** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेन्ट नं0 1 की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.03.2020 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **21** माह **11** सन् **2022** को जारी किया गया ।

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील
मोहर
कोटा